भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

उद्योग भवन

अधिसूचना सं0 75 (आर ई - 2010)/2009-2014

नई दिल्ली, दिनांक : 20 सितम्बर, 2011

विषयः- प्याज के निर्यात पर रोक को हटाना।

सां.आ.(अ) विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैरा 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, तत्काल प्रभाव से अधिसूचना संख्या 73 (आर ई-2010)/ 2009-14, दिनांक 09.09.2011 को निम्नानुसार संशोधित करती है।

अध्याय - 7

खाद्य सब्जियाँ और कुछ जड़ें एवं कन्द

टिप्पणी 1. इस अध्याय में प्याज के संदर्भ में ताजे अथवा हिमशीतित, अनंतिम रूप से संरक्षित अथवा शुष्कित प्याज शामिल हैं ।

क्रम.सं.	प्रशुल्क मद एचएस कोड	इकाई	मद विवरण	निर्यात नीति	प्रतिबंध का स्वरूप
44.01	07031010 07122000	किग्रा.	प्याज (बंगलौर गुलाबी प्याज और कृष्णापुरम प्याज को छोड़कर सभी किस्में) कटे, स्लाइस्ड अथ वा पाऊडर के रूप में टूटे हुए को छोड़कर।	एसटीई*	475 अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन अथवा समय-समय पर विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा यथा अधिसूचित न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) के मद्दे अनुमत निर्यात।
44.02	07031010 07122000	किग्रा.	बंगलौर गुलाबी प्याज और कृष्णापुरम प्याज, कटे, स्लाइस्ड अथवा	एसटीई*	475 अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन अथवा समय-समय पर विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा यथा

			पाऊडर के रूप में टूटे हुए को छोड़कर।		अधिसूचित न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) के मद्दे अनुमत निर्यात।
44.03	07122000	किग्रा.	कटे, स्लाइस्ड अथवा पाऊडर के रूप में टूटे हुए प्याज (सभी किस्मों के)।	मुक्त	

*एसटीई की सूची अधिसूचना संख्या 51 (आर ई-2007)/ 2004-09, दिनांक 14.11.2007 की क्रम संख्या 2 के अनुसार होगी।

2. इस अधिसूचना का प्रभाव :

प्याज के निर्यात पर लगी रोक को हटा लिया गया है और प्याज की सभी किस्मों का निर्यात अब अनुमत है।

(अनुप के0 पूजारी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई मेल :- dgft@nic.in

(फा0सं0 01/91/180/922/ए एम'08/पीसी 3/निर्यात प्रकोष्ठ से जारी)